भारत सरकार

सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3454

उत्तर देने की तारीख 24.03.2022

पारंपरिक कारीगरों को सहायता

3454. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग जिला गोपालगंज सहित बिहार में कौशल विकास प्रशिक्षण, उपकरण तथा उपस्कर के साथ-साथ ग्राम उद्योग गतिविधियों में संलग्न पारंपरिक कारीगरों की आय बढ़ाने हेतु विपणन सहायता भी प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य हेतु जिला गोपालगंज सहित बिहार में जारी तथा उपयोग की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, वर्ष 2008-09 से **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणियां जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। एमएसएमई मंत्रालय, वर्ष 2018-19 से, इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए मौजूदा, अच्छा प्रदर्शन करने वाली पीएमईजीपी/सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) इकाइयों को सब्सिडी के साथ दूसरा ऋण प्रदान कर रहा है।

केवीआईसी, ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य परंपरागत विरासत धारित करने वाले ग्रामों में ग्रामीण कारीगरों के परंपरागत और अंतर्निहित कौशलों का विकास करना है। इस स्कीम में कारीगरों को आधुनिक टूलकिटों के वितरण के साथ उन्नत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना शामिल है। जीवीवाई के अंतर्गत पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत स्व-रोज़गार सृजन होता है और प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत हैं:

1. **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम** के अंतर्गत, केवीआईसी पॉटरी में कार्यरत कुम्हार परिवारों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए पॉटरी कारीगरों को इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हीलों के साथ-साथ अन्य औजारों और उपकरणों का वितरण करता है। साथ ही कारीगरों/ लाभार्थियों को 10 दिनों का अपेक्षित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

2. **केवीआईसी मधुमक्खी उद्योग/हनी मिशन** के विकास में लगा हुआ है जिसका उद्देश्य आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत और इसे लोकप्रिय बनाकर अत्यधिक अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का उत्थान करना और सतत् रोजगार और आय सृजित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को जीवित मधुमक्खी कॉलोनियों और जरुरी टूल किटों सहित 10 मधुमक्खी के बक्से प्रदान किए जा रहे हैं।

3. केवीआईसी ने वर्ष 2020-21 में जीवीवाई के अंतर्गत **अगरबत्ती उद्योग** शीर्ष की प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है। बिहार सहित देश भर में इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/करीगरों को प्रशिक्षण और पैडल संचालित और स्वचालित अगरबत्ती निर्माण मशीनें प्रदान की गई हैं। इसमें 10 दिन का अगरबत्ती विनिर्माण प्रशिक्षण और मशीनों का वितरण शामिल है।

4. चमड़ा करीगरों की आजीविका के उत्थान हेतु, केवीआईसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान **चमड़ा कारीगर सशक्तिकरण कार्यक्रम** का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने वर्ष 2020-21 में चमड़ा शीर्ष में फुटवियर विनिर्माण/ मरम्मत पर एक प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया है।

5. **कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी)** के अंतर्गत, केवीआईसी इच्छुक व्यक्तियों को अपने प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से मधुमक्खी पालन, पॉटरी कार्यक्रम, फल और सब्जी प्रसंस्करण, बेकरी पाठ्यक्रम, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी, साबुन और डिटरजेंट निर्माण, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम और मोटर वाईंडिंग आदि जैसे विभिन्न विषयों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के साथ-साथ बिहार में उपर्युक्त स्कीमों/ कार्यक्रमों का कार्यनिष्पादन **अनुबंध** में है।

* * * * *

अनुबंध

दिनांक 24.03.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3454 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार राज्य सहित देश में प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) स्कीम और पॉटरी, हनी मिशन, अगरबत्ती, चमड़ा कारीगर सशक्तिकरण, कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमी जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी) जैसे कार्यक्रमों का कार्यनिष्पादन

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (09.03.2022 की स्थिति के अनुसार) के दौरान बिहार राज्य में **पीएमईजीपी** स्कीम का कार्यनिष्पादन:

(परियोजना और रोज़गार: संख्या में और मार्जिन मनी: रु. लाख में)

	बिहार में पीएमईजीपी			**गोपालगंज में पीएमईजीपी**		
वर्ष	**परियोजना**	**मार्जिन मनी**	**रोज़गार**	**परियोजना**	**मार्जिन मनी**	**रोज़गार**
2018-19	3303	9842.00	26424	63	213.10	504
2019-20	2216	6950.67	17728	45	177.47	360
2020-21	2192	7208.75	17536	63	259.50	504
2021-22 (09.3.2022 की स्थिति के अनुसार)	1702	5658.90	13616	65	268.65	520

1. बिहार सहित देश में **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम** का कार्यनिष्पादन

वर्ष	**वितरित इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरणों की संख्या**	**लाभान्वित पॉटरी कारीगरों की संख्या**	**निधियों का संवितरण** (रु. लाख में)
2017-18	1120	4480	207.90
2018-19	6555	26220	1448.59
2019-20	6880	27520	1353.14
2020-21	6475	25900	1895.12
कुल	**21030**	**84120**	**4904.75**

बिहार राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन

वर्ष	**वितरित इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरणों की संख्या**	**लाभान्वित पॉटरी कारीगरों की संख्या**	**निधियों का संवितरण** (रु. लाख में)
2017-18	20	80	3.90
2018-19	100	400	1.54
2019-20	220	880	0.11
2020-21	615	2460	19.64
कुल	**955**	**3820**	**25.19**

वर्ष 2021-22 के लिए कुम्हार सशक्तिकरण के अंतर्गत गोपालगंज जिले में 20 पॉटरी कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया।

2. बिहार सहित देश में **हनी मिशन** का कार्यनिष्पादन

वर्ष	**जीवित बी हाईव सहित वितरित मधुमक्खी-बक्सों की संख्या**	**लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या**	**निधियों का संवितरण** (रु. लाख में)
2017-18	13505	1384	**5402.05**
2018-19	95726	9636	**1506.61**
2019-20	28978	2920	**1343.36**
2020-21	15050	1505	**747.35**
कुल	**153259**	**15445**	**8999.37**

बिहार राज्य में हनी मिशन का कार्य-निष्पादन

वर्ष	**हाईव सहित वितरित मधुमक्खी-बक्सों की संख्या**	**लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या**	**निधियों का संवितरण** (रु. लाख में)
2017-18	75	750	248.48
2018-19	600	6000	65.33
2019-20	80	800	63.70
2020-21	190	1900	90.74
कुल	**945**	**9450**	**468.25**

3. बिहार में **अगरबत्ती कार्यक्रम** का कार्यनिष्पादन

वर्ष	**लक्ष्य**	**वास्तविक उपलब्धि**	**वित्तीय उपलब्धि**
2020-21 और 2021-22	50 टूल और उपकरणों का वितरण किया जाना है।	25 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया और दरभंगा जिले में टूल का वितरण किया जाना है।	0.875 लाख
		25 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया और गोपालगंज जिले में टूल का वितरण किया जाना है।	0.875 लाख

4. चमड़ा कारीगर सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 और 2019-20 से 2274 चमड़ा शिल्प कारीगरों को 2274 टूल-किटों का वितरण किया गया है। जिनमें से, 75 चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया और बिहार राज्य में उन्हें टूल और उपकरण प्रदान किए गए हैं।

5. देश में और बिहार राज्य में **कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमी जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी)** का कार्यनिष्पादन:

वर्ष	**प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या**	**बिहार राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या**
2018-19	67613	2904
2019-20	71142	2197
2020-21	47612	529
कुल	**186367**	**5630**